



समान होटल अतिथि नीति

30 मार्च, 2010 को संशोधित

1. सानफ्रांसिस्को प्रशासनिक कानून की कलम 41.4 (प) अंतर्गत निवासी होटल का कोई भी संचालक, कर्मचारी या प्रतिनिधि, होटल के मालिक या मेहमान से मिलने आनेवाले किसी भी व्यक्ति पर शुल्क नहीं डाल सकते हैं या वसूली नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्तसिंगल कमरों वाले होटल (SRO) के मालिक या संचालक, होटल के किसी मेहमान या वहाँ ठहरने वाले किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार देने से मना नहीं करेंगे:
 - अ. दिन के मेहमान
 1. प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से रात 9:00 बजे तक मेहमानों का स्वागत करना। प्रबंधन एक कमरे में एक बार में अधिकतम दो (2) मेहमानों के ही आने का नियम लागू कर सकता है। लेकिन होटल में रहने वाला व्यक्ति एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने में कुल कितने मेहमानों को बुला सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है।
 2. मेहमानों की सीमा नियम में 13 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की गिनती नहीं की जायेगी। हालाँकि प्रबंधन एक कमरे में, एक बार में अधिकतम दो (2) बच्चों की सीमा लागू कर सकता है।
 3. जनगणना संबंधित उद्देश्यों के लिए सुबह 9 बजे से ले कर शाम के 8 बजे तक जनगणना कर्मचारियों को निवासी होटलों में पहुँच प्रदान की जाएगी। इस उपखंड के उद्देश्यों के लिए, "जनगणना संबंधित प्रवृत्तियों" का अर्थ है ऐसी कोई भी गतिविधि जो कि एस आर ओ के निवासियों को जनगणना में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से की जाए, जिस में सर्वेक्षण करना और हैन्ड बिल्स, डोर हैंगर्स और पत्रिकाएं बाँटना शामिल हैं, पर ये उस तक सीमित नहीं है। इस उपखंड के उद्देश्यों के लिए, "जनगणना कर्मचारी" का अर्थ है यु.एस सेन्सस ब्यूरो या सानफ्रांसिस्को सिटी या काउन्टी के द्वारा जनगणना के लिए लोक संपर्क और शिक्षा प्रदान करने के लिए कॉन्ट्राक्ट दिये गये किसी भी संस्थान का औपचारिक कर्मचारी। जनगणना कर्मचारी फ्रन्ट डेस्क क्लर्क या संपत्ति के प्रबंधन कर्मचारियों को ब्यूरो के द्वारा प्रदान किया गया वैध पहचान पत्र दिखायेंगे। सिटी द्वारा जिनका खर्च उठाया जाता है वैसे जनगणना संपर्क संस्थानों के कर्मचारी ऑफिस ऑफ सिटीजन एंगेजमेन्ट एंड इमिग्रेंट अफेयर्स के द्वारा उन्हें सिटी के साथ जनगणना के लिए लोक संपर्क अनुबंध प्राप्त है इस बात की पुष्टि करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत
 - आ. रात भर के मेहमान
 1. प्रतिमाह आठ (8) रात भर के मेहमान रखना, जो एक मेहमान प्रति रात्रि प्रति होटल निवासी (किरायेदार) तक सीमित हों। जो लोग होटल के अपने कमरे में लगातार 32 दिन या उससे अधिक समय से रह रहे हैं, केवल उन्हें ही रात भर के मेहमान रखने का अधिकार होगा। न्यायालय के आदेश के अनुसार कस्टडी के अधिकारों, जो सत्रह (17) वर्ष की आयु में समाप्त हो जाते हैं, का लगातार रात में मेहमान के रूप में रहने के संदर्भ में सम्मान किया जायेगा लेकिन इस तरह रहने को भी, रात भर के मेहमानों की संख्या पर लगी सीमा के अंतर्गत गिना जायेगा।
 2. एक कमरे में रहने वाले दो व्यक्तियों में से प्रत्येक को, प्रति कैलेंडर माह आठ (8) रात भर के मेहमान रखने की अनुमति है लेकिन विवाद होने पर उन्हें आपस में ही यह तय करना होगा कि किस रात किसका एक (1) मेहमान रहेगा।
 3. होटल में रहने वालों को एक कैलेंडर माह में लगातार आठ (8) दिन तक एक मेहमान रखने का अधिकार है। इस तरह लगातार रातों में रहने वाले व्यक्ति को, सहमति के अनुसार, उस अवधि के दौरान हर बार चेक-इन या चेक-आउट करने की जरूरत नहीं होगी। वरना, मेहमान को सुबह 11:00 बजे तक चेक-आउट करना होगा या फिर दिन के वक्त मेहमान बनने के लिए डेस्क के साथ व्यवस्था करनी पड़ेगी।
 4. रात भर के मेहमानों के ठहरने का अनुरोध, उसी दिन रात 9:00 बजे के बाद स्वीकार नहीं किया जायेगा। अगर बिनती की गई है, परंतु उसी शाम को कोई मेहमान रात 09:00 बजे बाद नहीं रुका और अगर किरायेदारने संचालक को दूसरे दिन शाम के 06:00 बजे से पहले बता दिया होगा कि उस दिन रातको कोई मेहमान ठहरा नहीं था, तो इस बिनती को किरायेदार के हर महिने रूकने को मंजूर किये गये 8 मेहमानों में गिनी नहीं जायेगी। आगंतुक को बिनती करते समय हाज़िर नहीं रहना है और आगंतुक जब तक होटल पर नहीं पहुँच जाता, आगंतुक का नाम नहीं देना है, उस समय बाद आगंतुक को रहने वाले की तरह अंदर आने और बाहर जाने की सुविधा प्राप्त होगी।
 - इ. होटल में रहने वाले अशक्त लोगों की देखभाल करने वालों को अतिथि सीमा से अलग रखा जायेगा। होटल का मालिक या संचालक, चिकित्सा प्रमाण-पत्र या देखभाल करने वाले के पहचान-पत्र (I.D. card) देखने का अनुरोध कर सकता है।
2. एसआरओ (SRO) के मालिक या संचालक को यह सुनिश्चित करने के लिए तर्कसंगत नियम-कायदे लागू करने का अधिकार होगा कि ऊपर दिये गये मेहमानों के अधिकारों से किसी के स्वास्थ्य या इमारत की सुरक्षा को कोई खतरा न हो तथा/अथवा किसी अन्य प्रकार से निवासियों के शान्तिपूर्ण मनोरंजन के अधिकार में बाधा न पड़ती हो।
 - अ. मालिकों या संचालकों को मेहमानों से निम्नलिखित पहचान-पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध करने का अधिकार है:
 1. केलिफोर्निया का मान्य या अन्य राज्यों की सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किया गया वर्तमान वैध फोटो पहचान पत्र या इसके अलावा निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की पहचान उपलब्ध करानी होगी: वैध और वर्तमान पासपोर्ट, केलिफोर्निया के मोटर वाहन विभाग (DMV) द्वारा जारी ID, मेक्सिको वाणिज्य दूतावास का पंजीकरण कार्ड या निवासी विदेशी कार्ड, मर्चेंट सी मैन ID, दैनिक श्रम कार्यक्रम का ID, वेटरन का प्रशासनिक ID, या सानफ्रांसिस्को शहर का परिचय पत्र।
 2. मालिक/मैनेजर यह माँग कर सकते हैं कि मेहमान के होटल में ठहरने के दौरान उनका कोई पहचान-पत्र प्रबंधन के पास रखा जाये लेकिन ऐसा करने पर उन्हें उसकी रसीद देनी होगी। यदि प्रबंधन के पास ID मौजूद नहीं रहती तो निवासियों को निश्चित ही अपने मेहमानों को भवन से बाहर निकाल ले जाना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि वे साइन-आउट कर चुके हैं। यदि किसी निवासी का अतिथि बाहर जाने पर साइन-आउट नहीं करता, तो निवासी तीस दिन के लिए अतिथि बुलाने की सुविधा से वंचित हो सकते हैं, जिसे सात दिनों के अन्दर लिखित तौर पर बता दिया जाएगा।
 3. प्रबंधन द्वारा इस बात का लेखा रखना आवश्यक है और मेहमान को अपना पहचान-पत्र जमा कराते समय साइन-इन और उसे वापस लेते समय साइन-आउट करना होगा और लेखा को यह चीज दर्शानी चाहिए।
 4. यदि मेहमान का पहचान-पत्र खो जाता है या नहीं मिल पाता है और उसको लौटाने के मेहमान के अनुरोध के 12 घंटों के अंदर लौटाया नहीं जाता है तो मालिक/मैनेजर को उसके खो जाने और नया पहचान-पत्र बनवाने में होने वाली असुविधा के हर्जाने के तौर पर मेहमान के माँगते ही उसे तत्काल 75.00 डॉलर नकद देने होंगे।
 - आ. मालिकों या संचालकों को यह विशेष अधिकार होगा कि वे हर महीने के तीन (3) वास्तविक निरीक्षण दिवसों में से दो (2) दिन मेहमानों के आने पर पाबंदी लगा सकें। सेवा प्रदाताओं के लिए आवश्यक है कि वे इन पाबंदी वाले दिनों (blackout days) की जानकारी, पहली ऐसी तारीख से कम से कम पाँच (5) दिन पहले, न्यूनतम 8½" x 11" आकार में, प्रवेश द्वार के पास या लॉबी में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। यह पाबंदी तेरह (13) वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों, न्यायालय द्वारा कस्टडी में दिये गये बच्चों, या लगातार रह रहे मेहमानों पर लागू नहीं होगी।
 - इ. मालिक और संचालक, होटल में मिलने आने वालों से संबंधित नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले निवासियों पर, 30 दिन के लिए किसी अतिथि के आने पर पाबंदी लगा सकते हैं। नियमों का दूसरी बार उल्लंघन होने तक कोई सजा नहीं दी जा सकती। और यह पाबंदी 18 माह बाद समाप्त होगी। नीति के उल्लंघन के पहले नोटिस सहित सभी नोटिस लिखित होने चाहिए और उनकी एक प्रति निवासी को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऊपर अनुच्छेद 2अ(2) के मुताबिक, किसी अतिथि के भवन छोड़कर जाने पर साइन-आउट के सुनिश्चित न होने की स्थिति में, ये पाबंदियाँ अतिथि बुलाने के अधिकार को खण्डित करने के हक पर लागू नहीं होंगी।
 - ई. जो निवासी इस तरह की सजा या पाबंदी से सहमत नहीं हैं, वे या तो:
 1. संचालक अथवा मेहमानों के प्रतिनिधि (यदि वह मौजूद है) से अपील कर सकते हैं; या इसकी जगह
 2. अपनी शिकायत पर फ़ैसला कराने के लिए सीधे किराया बोर्ड के पास जा सकते हैं।
 - उ. मालिकों और संचालकों को यह भी अधिकार होगा कि वे किसी एक मेहमान के उस संपत्ति पर आने को प्रत्येक कैलेंडर माह में आठ (8) रातों तक सीमित कर दें।
 - ऊ. ऊपर अनुच्छेद 2अ(2) में दी गई जानकारी को छोड़कर, होटल में रहने वाले निवासी के लिए यह ज़रूरी नहीं होगा कि वह अपने मेहमान के बाथरूम या इमारत के अन्य साझा इलाकों में जाने पर उसके साथ रहें। लेकिन उसके व्यवहार की पूरी ज़िम्मेदारी निवासी पर होगी।
3. इस खण्ड में दी गई किसी भी बात से, SRO के मालिकों और संचालकों के उस विशिष्ट अतिथि पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, जो जान-बूझकर:
 - अ. अन्य निवासियों और पड़ोसियों के परिसर में शांतिपूर्वक रहने में बाधा डालता है;
 - आ. इमारत या रिहायशी यूनिट के किसी हिस्से को, या साझा सुविधाओं या उपकरणों को नष्ट करे, गंदा करे, नुकसान पहुँचाये, बाधा डाले या हटाये;
 - इ. अतिथि नीति का बार-बार उल्लंघन करे, जिसे संपत्ति पर बखेड़ा खड़ा करने के बराबर समझा जा सकता है या मकानमालिक या मेहमानों के आराम, सुरक्षा या मनोरंजन में ठोस बाधा माना जा सकता है और जो अदालतों के फ़ैसले के अनुसार, किराया अध्यादेश के अंतर्गत निकाले जाने (eviction) का न्यायसंगत कारण हो सकता है।
 - ई. निवासी के अतिथि को किसी भी समय होटल से निष्कासित किया जा सकता है, जिसके लिए निवासी को अतिथि के नाम और उसके निष्कासन के कारण के साथ तथ्य के बाद लिखित सूचना प्रदान की जाएगी।
4. SRO के मालिक या संचालक, इस नीति के अनुरूप किसी भी अतिरिक्त अतिथि नीति की लिखित प्रति अपने निवासियों को उपलब्ध करायेंगे। SRO के मालिकों या संचालकों के लिए आवश्यक है कि वे समान अतिथि नीति और किसी भी अतिरिक्त अतिथि नीति को कम से कम 11" x 17" के आकार में प्रवेश द्वार के पास लॉबी में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें।
5. गैर-कानूनी हिरासत की कार्रवाई को निपटाने के अलावा और किसी हालत में निवासी इस कानून में बताये गये अधिकारों को दरकिनार नहीं कर सकता। SRO के मालिक या संचालक और निवासी के बीच हुआ कोई भी समझौता, जो इस कानून में दिये गये अधिकारों को कम या सीमित करता हो, मान्य नहीं होगा और लागू नहीं किया जा सकेगा।
6. इस कानून के परिणामस्वरूप निवासियों को कुछ निश्चित और विशिष्ट अधिकार दिये गये हैं। यदि SRO के मालिक या संचालक इस प्रावधान का उल्लंघन करते हैं, तो निवासी कानून का सहारा ले सकते हैं और उन्हें सैन फ्रैंसिस्को किराया निर्धारक बोर्ड या पुलिस के पास जाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। केलिफोर्निया राज्य के कानून से सुसंगत, पुलिस कोड की कलम 919.1 (ब) के अनुसार, किसी भी उपलब्ध सजा के अतिरिक्त, संचालक, कर्मचारी या प्रतिनिधि, जो कोई भी इस युनिफॉर्म होटल विज़िट पोलिसी का उल्लंघन करेगा, वह इस उल्लंघन के लिए दोषित माना जायेगा, जिसकी सजा से \$50 से कम नहीं और \$500 से ज्यादा नहीं ऐसा जुर्माना हो सकती है।
7. ऊपर दिये गये अधिकारों में परिवर्तन कराने के इच्छुक SRO के मालिक या संचालक, सैन फ्रैंसिस्को किराया निर्धारक बोर्ड के पास याचिका दायर कर सकते हैं और उस याचिका पर सुनवाई करवा सकते हैं। सुनवाई की तारीख और समय का नोटिस SRO के मालिक या संचालक द्वारा होटल के फ्रंट डेस्क के ऊपर और लॉबी में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा और इमारत की हर मंजिल पर उसकी कम से कम पाँच (5) प्रतियाँ प्रदर्शित की जायेंगी।
8. किराया बोर्ड समुदाय की सभी प्रचलित भाषाओं में समान अतिथि नीति का अनुवाद करायेंगा और आवश्यकतानुसार उसे उपलब्ध करायेंगा।